संख्या-11/2021/514/94-1-2021-312(05)/2020

प्रेषक,

अशोक कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ |

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 27 अप्रैल, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-896/नौ-104(मुख्यालय)/2021 दिनांक 08-04-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक मतदेय में रू० 1415.94 लाख (रू० चौदह करोड़ पन्द्रह लाख चौरानबे हजार मात्र) एवं 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय में रू० 15195.91 लाख (रू० एक अरब इक्यावन करोड़ पिन्चानबे लाख इक्यानबे हजार मात्र), इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रू० 16611.85 लाख (एक अरब छियासठ करोड़ ग्यारह लाख पच्चासी हजार मात्र) तथा जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

1- उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है| जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय |

2- विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित /वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय |

4- व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैनुअल में दिए गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फ़ाइनेन्शिएल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय|

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021दिनांक 22-03-2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं जिसके प्रति विभागाध्यक्षों को पृष्ठांकित की गयी है | अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें|

संलग्नक: यथोक्त |

भवदीय,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव |

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार |

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज |
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज |
3- महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० प्रयागराज |
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज |
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ |
6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ |
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 |
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 |
9- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या :-11/2021/514/94-1-2021-312(05)/2020

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायायिक, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायायिक, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान		
		(धनराशि लाख रुपये में)
लेखाशीर्षक 2030/मदवार	**आय-व्ययक प्राविधान 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
01- वेतन	42.00	10.50
03- मंहगाई भत्ता	12.60	3.15
04- यात्रा व्यय	0.60	0.15
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.13
06- अन्य भत्ते	0.50	0.13
07- मानदेय	0.01	-
08- कार्यालय व्यय	1.00	0.25
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.13
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.13
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.20	0.13
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.01
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.05
49- चिकित्सा व्यय	1.50	0.38
51- वर्दी व्यय	0.01	-
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	-	-
55-मकान किराया भत्ता	1.50	0.38
56-नगर प्रतिकर भत्ता		-
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	0.25
योग 001 निदेशन तथा प्रशासन	**63.67**	**15.94**
अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 01- स्टाम्प न्यायायिक 101-स्टाम्पों की लागत, 03- न्यायायिक स्टाम्प		
42-अन्य व्यय	500.00	500.00
योग 101-स्टाम्पों की लागत	**500.00**	**500.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 01- स्टाम्प न्याययिक 102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय, 03- न्याययिक स्टाम्प		
42-अन्य व्यय	900.00	900.00
योग 102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	**900.00**	**900.00**
योग 01 मतदेय	**1463.67**	**1415.94**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान		
		(धनराशि लाख रुपये में)
लेखाशीर्षक 2030/मदवार	**आय-व्ययक प्राविधान 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
01- वेतन	70.00	70.00
03- मंहगाई भत्ता	21.00	21.00
04- यात्रा व्यय	0.75	0.75
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.05
06- अन्य भत्ते	0.50	0.50
07- मानदेय	0.10	0.10
08- कार्यालय व्यय	7.00	7.00
09- विद्युत देय	1.00	1.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50	2.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
13- टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.50	3.50
19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.05	0.05
42- अन्य व्यय (मतदेय)	0.01	0.01
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.15	0.15
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.40	0.40
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

49- चिकित्सा व्यय	-	-
51- वर्दी व्यय	0.15	0.15
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	-	-
55-मकान किराया भत्ता	3.50	3.50
56-नगर प्रतिकर भत्ता	-	-
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.75	2.75
योग 001 निदेशन तथा प्रशासन	**120.91**	**120.91**
अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर 101-स्टाम्पों की लागत, 03- गैर अदालती स्टाम्प		
42-अन्य व्यय	9000.00	9000.00
योग 101-स्टाम्पों की लागत	**9000.00**	**9000.00**
अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर 102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय, 03- गैर अदालती स्टाम्प		
42-अन्य व्यय	6000.00	6000.00
योग 102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	**6000.00**	**6000.00**
अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर 800-अन्य व्यय, 03- निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण		
42-अन्य व्यय	70.00	70.00
योग 800	**70.00**	**70.00**
अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर 800-अन्य व्यय, 04- वाटर मार्क पेपर की बिक्री पर व्यय		
42-अन्य व्यय	5.00	5.00
योग 800	**5.00**	**5.00**
योग 02 मतदेय	**15195.91**	**15195.91**
कुल योग 01 स्टाम्प न्यायिक 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर - रु० 16611.85 लाख (एक अरब छियासठ करोड़ ग्यारह लाख पच्चासी हजार मात्र)		

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in